

आज यह पत्रवली वकील जहाँ द्वारा मूल दफ्तर में
 डा. पत्र प्रस्तुत हुए प्रकृत Not प्रिन्ट करने के
 कार्य पेशी में ली गई मूल दफ्तर वकील जहाँ द्वारा
 Not प्रिन्ट करने के कार्य खारिज किया जा चुका होता है कि
 प्रकृत में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होती है डा. पत्र की
 कार्यवाही हो पत्र डा. पत्र खारिज किया जाता होता है - भा. भा. भा.
 जहाँ द्वारा अध्याय निवेदन दिनांक 13.03.19 को निरस्त किया जाता है
 पत्रवली में शुभारंभ हुए मूल दफ्तर में प्रकृत प्रकृत

पत्रवली
 02

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
 रायसिंहनगर

